संख्या–120 / XLI-1 / 2011–प्रशि0–47 / 11

प्रेषक,

ओ0पी0 तिवारी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 जुलाई, 2011

विषयः– एम0आई0एस0 योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, एस0पी0आई0यू0, देहरादून के पत्र संख्या–926–27 / एसपीआईयू / बजट / वीटीआईपी / 2011 दिनांक 21.04.2011 एवं डी0जी0ई0टी0 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–DGET-35(4)MIS equipment-1/2011-NPIU(Sanction 1), दिनांक 31.03.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्व बैंक सहायतित Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services (VTIP) के अन्तर्गत **संलग्नक–1** में उल्लिखित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एम0आई0एस0 एप्लीकेशन के क्रियान्वयन के लिये कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों तथा सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुये कुल ₹43,67,723–00 (रूपये तैतालीस लाख सड़सठ हजार सात सौ तेईस मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि में से ₹18,31,723 / – सम्बन्धित मानक मद में प्राविधानित धनराशि से तथा ₹25,36,000 / – पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है।

3. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं स्टोर पर्चेज रूल्स तथा क्रय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उपकरणों / सॉफ्टवेयर का क्रय करते समय प्रोजेक्ट इम्पीलिमेन्टेशन प्लान, प्रोक्योरमेंट मैनुअल एवं फाइनेन्शियल मैनेजमेंट मैनुअल में उल्लिखित दिशा–निर्देशों तथा **संलग्नक–2** में उल्लिखित आईटम्स्, स्पेसिफिकेशन, क्वान्टिटी एवं दरों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. धनराशि व्यय करने एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही में वित्तीय / अधिप्राप्ति नियमों की अनुपालना की जायेगी।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 31.03.2011 के प्रस्तर–5 में दी गयी अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों का तथा योजना हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्गत निदेर्शो व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग शीघ्र करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाये, ताकि योजनान्तर्गत आगामी केन्द्रांश की किश्त शीघ्र प्राप्त की जा सके।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण(75% के0स0)–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–67 P/XXVII(5)/2011 दिनॉक 25.07.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. राज्य परियोजना निदेशक, एस0पी0आई0यू0, गढ़ी कैन्ट, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय, हल्द्वानी।
5. संलग्नक–2 में उल्लिखित समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
6. अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 31.03.2011 के क्रम में सूचनार्थ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।